[2020] 1 उम. नि. प. 307

ईश्वरी लाल यादव और एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 1522]

3 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति सूर्यकांत

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या और साक्ष्य का विलोपन – अभियुक्तों द्वारा 'सिद्धि' प्राप्त करने के लिए दो बालकों की मानव बलि देकर हत्या किया जाना – शवों को अपने मकान के प्रांगण में दफनाया जाना – अपराध की न्यायिकेतर संस्वीकृति किया जाना – दोषसिद्धि – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह साबित हो गया हो कि अभियुक्तों द्वारा जादू-टोने के लिए बालकों की मानव बलि देकर उनके शव अपने मकान के प्रांगण में दफना दिए गए और उनके द्वारा अपराध कारित करने के बारे में की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति की पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा की गई हो तथा बालकों के शव अभियुक्तों के प्रांगण में दफनाए जाने संबंधी विशेष तथ्य का ज्ञान केवल उन्हें होने के कारण इसका स्पष्टीकरण न दिया गया हो, वहां अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 23 नवंबर, 2010 को चिराज राजपूत नामक एक बालक अपने मकान से गुम पाया गया । पुलिस थाना, भिलाई नगर, जिला दुर्ग में एक गुमशुदा रिपोर्ट दी गई । उसके पश्चात् माता-पिता अपने बालक को ढूंढ़ रहे थे । अपीलार्थियों अर्थात् ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) और श्रीमती किरन यादव (अभियुक्त-2) के मकान में बज रहे संगीत के शोर को सुनकर उन्होंने

उनके मकान में प्रवेश किया । जब उन्होंने मकान में प्रवेश किया तो उन्होंने ताजा खुदा हुआ मिट्टी का एक टिल्ला पाया और इस अपील में अपीलार्थियों ने, जो "तांत्रिक" होने का दावा कर रहे थे, यह स्वीकार किया कि उन्होंने "सिद्धि" प्राप्त करने के लिए चिराग की हत्या की है और उसे यहां दफना दिया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन का यह पक्षकथन है कि उक्त मामले में अन्वेषण के दौरान महानंद यादव (अभियुक्त-4) ने पुलिस को एक कथन किया कि लगभग सात/आठ माह पूर्व उसने (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के कहने पर एक छोटी-सी लड़की का व्यपहरण किया था । उक्त लड़की की मानव बलि देकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को अपीलार्थियों के प्रांगण में दफना दिया गया था । शवों के कंकालों के अवशेषों की बरामदगी के पश्चात् डी. एन. ए. परीक्षण किया गया और यह अवधारित किया गया कि ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) और श्रीमती किरन यादव (अभियुक्त-2) के मकान में पाए गए कंकाल के अवशेष कुमारी मनीषा के थे, जिसके भी गुम होने की रिपोर्ट की गई थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध अभिकथित अपराधों के लिए आरोपित किया गया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 364/34 और 201 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा अन्य दंडादेशों के साथ-साथ मृत्यु दंडादेश अधिरोपित किया गया । अपील करने पर उच्च न्यायालय ने क्रमश: अभियुक्त सं. 3 और 4 को दोषमुक्त कर दिया । जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 120ख के अधीन अपराध के लिए उन पर अधिरोपित मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में उपांतरित किया गया । साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 और 120ख तथा 201 के अधीन अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई । अभियुक्तों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करते हुए और अन्य दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करके अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए कई स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा की गई थी । अभिलेख पर के

साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 23 नवंबर, 2010 को जब मृतक चिराग राजपूत के साथ-साथ उस अवस्थान के बालकों के गुम होने के लिए उनके माता-पिता द्वारा तलाश की जा रही थी, तब अपीलार्थियों के मकान से संगीत का शोर सुनकर उन्हें संदेह हुआ और मकान में प्रवेश किया । मकान में प्रवेश करने के उपरांत अपीलार्थियों के मकान में ताजा खुदा हुआ मिट्टी का टिल्ला पाया और अपीलार्थियों द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर चिराग के शव का पता चला । इसके अतिरिक्त, चूंकि अभियुक्तों में से एक द्वारा यह खुलासा किया गया था कि लगभग सात/आठ माह पहले उन्होंने (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के कहने पर एक छोटी-सी लड़की का व्यपहरण किया गया था और उन्होंने लड़की को ईश्वरी लाल यादव और किरन यादव को सौंप दिया था, बीरू देवार (अभि. सा. 2) द्वारा तारीख 4 मार्च, 2010 को दर्ज की गई शिकायत को देखते हुए आगे अन्वेषण किया गया था । बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने तारीख 4 मार्च, 2010 को इस आशय की एक रिपोर्ट फाइल की थी कि उसकी छह वर्षीया पुत्री कुमारी मनीषा गुम हो गई है । आगे अन्वेषण करने पर अपीलार्थियों के मकान से उस स्थान से सटे हुए स्थान से कंकाल के अवशेष निकाले गए, जहां से चिराग का शव बाहर निकाला गया था । मृतका के पिता बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया कि जब वे ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) के मकान पर गए तो उन्होंने कंकाल के अवशेष पाए और उन्होंने अपनी पुत्री कुमारी मनीषा के वस्त्रों की भी शनाख्त की । अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए कई स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा की गई थी । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 23 नवंबर, 2010 को जब मृतक चिराग राजपूत के साथ-साथ उस अवस्थान के बालकों के गुम होने के लिए उनके माता-पिता द्वारा तलाश की जा रही थी, तब अपीलार्थियों के मकान से संगीत का शोर सुनकर उन्हें संदेह हुआ और मकान में प्रवेश किया । मकान में प्रवेश करने के उपरांत अपीलार्थियों के मकान में ताजा खुदा हुआ मिट्टी का टिल्ला पाया और अपीलार्थियों द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर चिराग के शव का पता चला । इसके अतिरिक्त, चूंकि अभियुक्तों में से एक द्वारा यह खुलासा किया गया था कि लगभग सात/आठ माह पहले उन्होंने (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के कहने पर एक छोटी-सी

लड़की का व्यपहरण किया गया था और उन्होंने लड़की को ईश्वरी लाल यादव और किरन यादव को सौंप दिया था, बीरू देवार (अभि. सा. 2) द्वारा तारीख 4 मार्च, 2010 को दर्ज की गई शिकायत को देखते हुए आगे अन्वेषण किया गया था । बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने तारीख 4 मार्च, 2010 को इस आशय की एक रिपोर्ट फाइल की थी कि उसकी छह वर्षीया पुत्री कुमारी मनीषा गुम हो गई है । आगे अन्वेषण करने पर अपीलार्थियों के मकान से उस स्थान से सटे हुए स्थान से कंकाल के अवशेष निकाले गए, जहां से चिराग का शव बाहर निकाला गया था । मृतका के पिता बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया कि जब वे ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) के मकान पर गए तो उन्होंने कंकाल के अवशेष पाए और उन्होंने अपनी पुत्री कुमारी मनीषा के वस्त्रों की भी शनाख्त की । इसके अतिरिक्त, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364/34 के अधीन अपराध को साबित करने के लिए अभिकथित संस्वीकृति के सिवाय अभिलेख पर कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है, इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 और 120ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्ति के हकदार हैं । फिर भी, मृतका के शव को दफनाकर अपराध के साक्ष्य को छिपाया था, इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । हत्या की पाश्विक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु-दंड अधिरोपित किया था, अपील में उच्च न्यायालय ने इस दंडादेश को किसी परिहार या पैरोल के बिना आजीवन कारावास में उपांतरित किया है । हत्या की पाश्विक प्रकृति पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की जानी चाहिए । (पैरा 15, 21, 22, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 12 एस. सी. सी. 133 :	
	प्रकाश बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	11, 25

[2012]	(2012) 6 एस. सी. सी. 403 : **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	11
[2007]	(2007) 3 एस. सी. सी. 755 : **गोवा राज्य** बनाम **संजय ठाकरान** ;	11, 25
[2004]	(2004) 2 एस. सी. सी. 338 : **सुशील मुर्मु** बनाम **झारखंड राज्य** ;	13
[2001]	(2001) 7 एस. सी. सी. 569 : **फिरोजुद्दीन और अन्य** बनाम **केरल राज्य** ;	11, 24
[1998]	(1998) 3 एस. सी. सी. 625 : **रोनी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	11
[1966]	ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 119 : **अघनू नागेसिया** बनाम **बिहार राज्य** ;	11, 23
[1956]	[1956] एस. सी. आर. 199 : **शंभूनाथ मेहरा** बनाम **अजमेर राज्य** ।	11, 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 1522.

2014 की दांडिक अपील सं. 1068 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तारीख 30 नवंबर, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

श्री बिरेन्द्र कुमार मिश्रा (न्यायमित्र)

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री सिद्धार्थ दवे, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) लिज मैथ्यू, (सुश्री) निन्नी सुसन थोमस, यश एस. विजय (सुश्री) जेमतीबेन, एओ (सुश्री) सोम्या गुप्ता, सिद्धांत कृष्ण दवे, कबीर दीक्षित, राजीव कुमार बंसल, एम. पी. सिंह, अक्षय के. घई, सुमीर सोढ़ी, आशीष तिवारी, (सुश्री) रीधिमा जुनेजा और (सुश्री) सुदीति बतरा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील अपीलार्थी सं. 1 और 2 द्वारा 2014 के दांडिक निर्देश सं. 4 और 2014 की दांडिक अपील सं. 1068 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के सामान्य निर्णय से व्यथित होकर फाइल की गई है । इस अपील में अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364/34, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302/34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया था । पूर्वोक्त आरोपों के लिए 2011 के सेशन विचारण सं. 98 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा उनका विचारण किया गया था और उन्हें आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश और 5,000/- रुपए के जुर्माने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश किया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मृत्यु दंडादेश को ध्यान में रखते हुए 2014 के दांडिक निर्देश सं. 4 में एक निर्देश किया था । अपीलार्थियों ने उनके विरुद्ध अभिलिखित की गई दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित दंडादेश को चुनौती देते हुए 2018 की दांडिक अपील सं. 1068 फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 23 नवंबर, 2016 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि की पुष्टि की । तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में उपांतरित किया गया है । यह भी मत व्यक्त किया गया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त किसी परिहार या पैरोल के हकदार नहीं हैं । उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की गई है ।

3. बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने तारीख 4 मार्च, 2010 को पुलिस थाना, भिलाई नगर में यह उल्लेख करते हुए एक शिकायत दर्ज की थी

कि उसकी छह वर्षीया पुत्री कुमारी मनीषा गुम हो गई है ।

4. तारीख 23 नवंबर, 2010 को चिराज राजपूत नामक एक बालक अपने मकान से गुम पाया गया । पुलिस थाना, भिलाई नगर, जिला दुर्ग में एक गुमशुदा रिपोर्ट दी गई । उसके पश्चात् माता-पिता अपने बालक को ढूंढ़ रहे थे । अपीलार्थियों अर्थात् ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) और श्रीमती किरन यादव (अभियुक्त-2) के मकान में बज रहे संगीत के शोर को सुनकर उन्होंने उनके मकान में प्रवेश किया । जब उन्होंने मकान में प्रवेश किया तो उन्होंने ताजा खुदा हुआ मिट्टी का एक टिल्ला पाया और इस अपील में अपीलार्थियों ने, जो "तांत्रिक" होने का दावा कर रहे थे, यह स्वीकार किया कि उन्होंने "सिद्धि" प्राप्त करने के लिए चिराग की हत्या की है और उसे यहां दफना दिया है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन का यह पक्षकथन है कि उक्त मामले में अन्वेषण के दौरान महानंद यादव (अभियुक्त-4) ने पुलिस को एक कथन किया कि लगभग सात/आठ माह पूर्व उसने (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के कहने पर एक छोटी-सी लड़की का व्यपहरण किया था ।

5. उक्त लड़की की मानव बलि देकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को अपीलार्थियों के प्रांगण में दफना दिया गया था । तारीख 24 नवंबर, 2010 को भिलाई नगर पुलिस थाने के एक कांस्टेबल ने इस प्रभाव की 'ओ' प्रविष्टि की थी कि व्यपहृत लड़की के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी मानव बलि देकर हत्या कर दी गई थी और उसके कंकाल के अवशेषों के साथ-साथ उसके वस्त्र, जो वह पहने हुए थी, बरामद किए गए हैं । उक्त तारीख को प्रदर्श पी-15 के अधीन एक कथन अभिलिखित किया गया था । पूर्वोक्त कथन के आधार पर अन्वेषण किया गया और बालक के कंकाल के अवशेष बरामद किए गए ।

6. कंकाल अवशेषों की बरामदगी के पश्चात् डी. एन. ए. परीक्षण किया गया और यह अवधारित किया गया कि ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) और श्रीमती किरन यादव (अभियुक्त-2) के मकान में पाए गए कंकाल के अवशेष कुमारी मनीषा के थे, जिसके भी गुम होने की रिपोर्ट की गई थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध अभिकथित अपराधों के लिए आरोपित किया गया ।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 21 की परीक्षा की गई । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्त उनके विरुद्ध विरचित आरोपों के लिए दोषी हैं तथा अपीलार्थियों को निम्नलिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया :–

अभियुक्त	भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन दोषसिद्धि	दंडादेश
ईश्वरी लाल यादव	364/34 और 120ख	आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
	302/34 और 120ख	मृत्यु दंडादेश और 5,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
	201	पांच वर्ष का कठोर कारावास और 2,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
श्रीमती किरन यादव **उर्फ** गुरुमाता	364/34 और 120ख	आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।

	302/34 और 120ख	मृत्यु दंडादेश और 5,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
	201	पांच वर्ष का कठोर कारावास और 2,000/- रुपए का जुर्माना । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।

8. अपील करने पर उच्च न्यायालय ने क्रमश: अभियुक्त सं. 3 और 4 अर्थात् राजेन्द्र कुमार माहर और महानंद यादव को दोषमुक्त कर दिया । जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा 120ख के अधीन अपराध के लिए उन पर अधिरोपित मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में उपांतरित किया गया है । साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 और 120ख तथा 201 के अधीन अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई है ।

9. हमने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सिद्धार्थ दवे और प्रत्यर्थी-छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सुमीर सोढ़ी को सुना ।

10. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा था और इसके बावजूद उन्हें अभिकथित अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । यह दलील दी गई है कि अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए संस्वीकृति कथनों का किसी संपुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए था । यह भी दलील दी गई है कि साक्षियों के बीच तात्विक विरोधाभास हैं, इसलिए साक्ष्य अविश्वसनीय है । आगे यह भी दलील दी गई है कि जंघास्थि, जिसे परिरक्षित रखा

गया था, डीएनए विश्लेषण के लिए सीडीएफसी, हैदराबाद भेजी गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा वास्तव में जिस रिपोर्ट का अवलंब लिया गया था, वह न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर की रिपोर्ट थी । यहां तक कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में निश्चायक रूप से इस तथ्य का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि अभि. सा. 3 माता है, अपितु इसमें यह उल्लिखित है कि वह एक जैविक नातेदार है । उसके शरीर पर पाए गए वस्त्रों के संबंध में भी विसंगतियां हैं । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी तारीख 23 नवंबर, 2010 से अभिरक्षा में थे और बरामदगियां तारीख 24 नवंबर, 2010 को की गई थीं किंतु प्रकटन कथन उसके पश्चात् अभिलिखित किए गए थे ।

11. अत: यह दलील दी गई है कि इन बातों से यह प्रबल अधिसंभाव्यता उत्पन्न होती है कि ये आयुध पुलिस द्वारा गढ़े गए थे । यह भी दलील दी गई है कि यहां तक कि जो रक्त आयुधों पर पाया गया था, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह मानव रक्त था । विद्वान् काउंसेल ने अपने तर्कों के समर्थन में **अघनू नागेसिया** बनाम **बिहार राज्य**[1], **सहदेवन और एक अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2], **शंभूनाथ मेहरा** बनाम **अजमेर राज्य**[3], **रोनी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4], **गोवा राज्य** बनाम **संजय ठाकरान**[5], **प्रकाश** बनाम **कर्नाटक राज्य**[6] और **फिरोजुद्दीन और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[7] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया ।

12. विद्वान् कांउसेल ने इस दलील पर बल देने के लिए कि इस बात की प्रबल संभाव्यता है कि आयुधों को पुलिस द्वारा गढ़ा गया था, इसलिए बरामदगियों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, **संजय ठाकरान** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लिया । इसके अतिरिक्त **प्रकाश**

---

[1] ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 119.

[2] (2012) 6 एस. सी. सी. 403.

[3] [1956] एस. सी. आर. 199.

[4] (1998) 3 एस. सी. सी. 625.

[5] (2007) 3 एस. सी. सी. 755.

[6] (2014) 12 एस. सी. सी. 133.

[7] (2001) 7 एस. सी. सी. 569.

(उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय का भी अवलंब लिया है । इस दलील के समर्थन में कि क्योंकि अपराध में प्रयुक्त आयुध पर लगा रक्त मृतक का रक्त होना दर्शित नहीं किया गया है, इससे यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि अन्वेषण ऋजु नहीं था और संदेह का फायदा अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए ।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सुमीर सोढ़ी ने यह दलील दी कि चूंकि मामला मानव बलि के प्रयोजन के लिए एक छह वर्षीया अप्राप्तवय लड़की की नृशंस हत्या संबंधित है और अभिलेख पर के मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है, इसलिए आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के कोई आधार नहीं हैं । यह दलील दी गई है कि जब चिराग नामक एक दो वर्षीय बालक गुम हो गया था, उसके माता-पिता परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के साथ गुम हुए बालक की तलाश कर रहे थे, तब अपीलार्थियों के मकान से आ रहे संगीत का शोर सुनकर उन्हें संदेह हुआ और मकान में प्रवेश किया । यह दलील दी गई है कि उस सुसंगत समय पर दोनों अपीलार्थी-अभियुक्तों ने चिराग की हत्या करने और शव को मकान के प्रांगण में दफनाने के लिए अपने कृत्य की दोषिता की संस्वीकृति की थी । यह दलील दी गई है कि मिट्टी का ताजा टिल्ला देखकर उसे खोदा गया था और चिराग का शव दो टुकड़ों में पाया गया था । उस समय पर उक्त मामले में के एक अभियुक्त ने एक बालिका के साथ भी इसी प्रकार का अपराध कारित करने की बात प्रकट की थी । यह दलील दी गई है कि बीरू देवार (अभि. सा. 2) की छह वर्षीया पुत्री के गुम होने की पहले ही एक शिकायत थी, जो तारीख 4 मार्च, 2010 को दर्ज की गई थी और उसका अन्वेषण किया गया था । पुलिस के आगामी अन्वेषण से यह प्रकट हुआ कि उन्होंने कुमारी मनीषा नामक अप्राप्तवय लड़की का व्यपहरण किया था और उसकी हत्या की थी । उसे भी चिराग वाले स्थान के निकट दफनाया गया था । इसलिए खुदाई करके वस्त्रों सहित कंकाल के अवशेष बाहर निकाले गए थे । यह दलील दी गई है कि अभिलेख पर के साक्ष्य से इस बात को कई स्वतंत्र साक्षियों की संस्वीकृति द्वारा स्पष्ट रूप से साबित किया गया, जिसकी संपुष्टि

अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करने के लिए होती है कि अपीलार्थियों द्वारा मनीषा की हत्या मानव बलि के प्रयोजन के लिए की गई थी, इसलिए उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था और उनके मृत्यु दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा किसी परिहार या पैरोल के बिना आजीवन कारावास में उपांतरित किया गया था । अत: यह दलील दी गई है कि इस निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं हैं । विद्वान् काउंसेल ने **सुशील मुर्मु** बनाम **झारखंड राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय का भी अवलंब लिया है ।

14. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसलों को सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अभिलेख पर की अन्य सामग्री का भी परिशीलन किया ।

15. अपीलार्थी-अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए कई स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा की गई थी । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तारीख 23 नवंबर, 2010 को जब मृतक चिराग राजपूत के साथ-साथ उस अवस्थान के बालकों के गुम होने के लिए उनके माता-पिता द्वारा तलाश की जा रही थी, तब अपीलार्थियों के मकान से संगीत का शोर सुनकर उन्हें संदेह हुआ और मकान में प्रवेश किया । मकान में प्रवेश करने के उपरांत अपीलार्थियों के मकान में ताजा खुदा हुआ मिट्टी का टिल्ला पाया और अपीलार्थियों द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर चिराग के शव का पता चला । इसके अतिरिक्त, चूंकि अभियुक्तों में से एक द्वारा यह खुलासा किया गया था कि लगभग सात/आठ माह पहले उन्होंने (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के कहने पर एक छोटी-सी लड़की का व्यपहरण किया गया था और उन्होंने लड़की को ईश्वरी लाल यादव और किरन यादव को सौंप दिया था, बीरू देवार (अभि. सा. 2) द्वारा तारीख 4 मार्च, 2010 को दर्ज की गई शिकायत को देखते हुए आगे अन्वेषण किया गया था । बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने तारीख 4 मार्च, 2010 को इस आशय की एक रिपोर्ट फाइल की थी कि उसकी छह वर्षीया पुत्री कुमारी मनीषा गुम हो गई है । आगे अन्वेषण करने पर अपीलार्थियों के मकान से उस स्थान से सटे हुए स्थान से कंकाल के

---

[1] (2004) 2 एस. सी. सी. 338.

अवशेष निकाले गए, जहां से चिराग का शव बाहर निकाला गया था । मृतका के पिता बीरू देवार (अभि. सा. 2) ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया कि जब वे ईश्वरी लाल यादव (अभियुक्त-1) के मकान पर गए तो उन्होंने कंकाल के अवशेष पाए और उन्होंने अपनी पुत्री कुमारी मनीषा के वस्त्रों की भी शनाख्त की ।

16. मृतका की माता श्रीमती दुर्गा बाई की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि कथन करने की तारीख से लगभग डेढ़ वर्ष पहले वह लगभग 6.00 बजे अपराह्न में भीख मांगने के लिए कासरीडीह गई थी । उसकी पुत्री ने लाल रंग का दो पीस का सैट पहने हुए था और लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में जब मंदिर में पूजा पूरी हो गई थी, तब उसकी पुत्री कुमारी मनीषा ने यह कहा कि वह शौच के लिए जाना चाहती है । इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य ने यह भी कथन किया कि कुछ समय के पश्चात् जब वह उस बिजली के खंबे के स्थान के पास वापस गई, जहां उसकी पुत्री शौच कर रही थी, तो उसने उसे वहां नहीं पाया । यह कथन किया गया है कि पुलिस पदधारियों के कहने पर वे रूबंधा में अपीलार्थियों के मकान पर गए और उसकी मौजूदगी में एक कब्र की खुदाई की गई और वहां पर हड्डियों के कुछ टुकड़ों के साथ-साथ उसकी पुत्री के वस्त्र भी पड़े हुए थे । उसने इन वस्त्रों की शनाख्त अपनी पुत्री कुमारी मनीषा के होने के रूप में की ।

17. दिलीप ठाकुर की अभि. सा. 11 के रूप में परीक्षा की गई थी, जो उन व्यक्तियों में से एक था, जो अन्य बालक चिराग की तलाश में अपीलार्थियों के मकान के अंदर गए थे । उसने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया कि उस समय पर दोनों अपीलार्थियों ईश्वरी लाल यादव और श्रीमती किरन यादव ने यह संस्वीकृति की कि पहले उन्होंने एक छोटी-सी लड़की की बलि दी थी, जिसको वे कासरीडीह से लाए थे और उसे अपने मकान में दफनाया था ।

18. अभि. सा. 13, श्रीकांत गावंडर ने यह कथन किया कि ईश्वरी लाल यादव के बताने पर प्रांगण में कुछ मिट्टी के टिल्ले को खोदा गया था और उसमें से लाल रंग की फ्राक और लाल रंग की चड्डी के साथ कंकाल के अवशेष पाए गए थे ।

19. अभि. सा. 16 सहायक उप निरीक्षक है, जिसने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-28 और प्रदर्श पी-29) अभिलिखित की थी ।

20. कुसुम सिंह साहु नामक व्यक्ति की अभि. सा. 21 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि वह अभियुक्त ईश्वरी लाल यादव और उसकी पत्नी श्रीमती किरन यादव (अपीलार्थी) को जानता है, जो उसके पड़ौसी हैं । उसने यह कथन किया कि (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) दोनों जादू-टोने के काम में लगे थे । राजेन्द्र कुमार (अभियुक्त-3) और महानंद यादव (अभियुक्त-4) (अभियुक्त-1) और (अभियुक्त-2) के शिष्य हैं । यह साक्षी भी पहले गुम हो गए लड़के चिराग की तलाश करने वाले दल का सदस्य था । उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि अपीलार्थियों ने यह स्वीकार किया था कि कुमारी मनीषा नाम की एक लड़की की भी, जिसका पहले व्यपहरण किया गया था, उनके द्वारा बलि दी गई थी । इस आशय की भी एक संस्वीकृति है कि उन्होंने लड़की को उस स्थान से सटाकर दफनाया था, जहां चिराग के शव को दफनाया गया था ।

21. अभिलेख पर के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि कुमारी मनीषा अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की पुत्री है और तारीख 4 मार्च, 2010 से गुम थी । यद्यपि उक्त शिकायत तारीख 4 मार्च, 2010 को पुलिस चौकी पदमनभपुर में अभिलिखित की गई थी, किंतु कोई सुराग नहीं लगा था । चिराग का मामला प्रकाश में आने के पश्चात् ही अपीलार्थियों और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वीकारोक्ति करने के आधार पर आगे अन्वेषण करने पर यह खुलासा हुआ था कि अपीलार्थियों ने इससे पूर्व भी अपने तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए कुमारी मनीषा की भी हत्या करने का भी इसी प्रकार का अपराध किया था और उस अप्राप्तवय लड़की के शव को अपने मकान में दफना दिया था ।

22. अपीलार्थियों द्वारा पुलिस को किए गए संस्वीकृति कथन अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के आधार नहीं हो सकते हैं, किंतु स्वतंत्र साक्षियों को उस समय की गई संस्वीकृतियों को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है, जब पुलिस के पहुंचने से पूर्व चिराग का

शव पाया गया था । यह सत्य है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है । किंतु फिर भी यदि इसकी संपुष्टि अभिलेख पर के अन्य साक्ष्यों द्वारा होती है तो अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए ऐसी संस्वीकृति पर विचार किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में स्वतंत्र साक्षियों का साक्ष्य एक सुर में है और संगत है । अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन का पक्षकथन सिद्ध होता है । इस साक्ष्य के अतिरिक्त, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 जो मृतका के माता-पिता हैं, ने उन वस्त्रों की शनाख्त की थी जो मृतका बालिका गुम होने की तारीख को पहने हुए थी । साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कंकाल के अवशेष निकाले गए थे । उन्होंने कंकाल के अवशेषों से संलग्न कपड़े के टुकड़े भी पाए थे । इन कपड़ों के टुकड़ों के रंग का मिलान अभि. सा. 2 द्वारा पहले ही तारीख 4 मार्च, 2010 को दर्ज की गई गुमशुदा रिपोर्ट में किए गए वर्णन से किया गया था । अत: स्पष्ट रूप से किसी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित होता है कि अपीलार्थी उनके विरुद्ध अभिकथित अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं ।

23. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने **अघनू नागेसिया** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अपनी इस दलील को पुख्ता करने के लिए अवलंब लिया है कि निचले न्यायालयों ने संस्वीकृति के आधार पर अपीलार्थियों की दोषिता का निष्कर्ष अभिलिखित करके गलती की है, किंतु वह एक ऐसा मामला है, जहां उस मामले में अपीलार्थी को अपनी चाची और अन्य व्यक्तियों की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था और हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था । अपीलार्थी के विरुद्ध प्रमुख साक्ष्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थी, जिसमें स्वयं अपीलार्थी द्वारा की गई दोषिता की पूर्ण संस्वीकृति अंतर्विष्ट थी । उक्त संस्वीकृति एक पुलिस अधिकारी को की गई थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्वीकृति साबित करने योग्य नहीं थी । इसके अतिरिक्त, **सहदेवन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया गया है । इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के पूर्वोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमजोर

प्रकार का साक्ष्य होता है और न्यायालय को अवश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी संस्वीकृति विश्वासोत्पादक हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा संपुष्टि होती हो । यदि प्रस्तुत मामले में अभिलेख पर के समग्र साक्ष्य पर विचार किया जाए तो यह संगत है और मुख्य अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन के पक्षकथन में विश्वास प्रेरित होता है । हमारा यह मत है कि पूर्वोक्त निर्णयों से अपीलार्थियों के पक्षकथन का समर्थन करने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है ।

24. विद्वान् काउंसेल ने **शंभू नाथ मिश्रा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया है । पूर्वोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दांडिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का आशय निश्चित रूप से उसे इस कर्तव्य से अवमुक्त करने का नहीं है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसके विपरीत, यह धारा कतिपय ऐसे आपवादिक मामलों का सामना करने के लिए उपबंधित की गई है, जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को सिद्ध करना असंभव होगा या किसी भी स्थिति में अननुपातिक रूप से मुश्किल होगा, जो "विशेष रूप से" अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह किसी कठिनाई या असुविधा के बिना साबित कर सकता था । प्रस्तुत मामले में तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा यह साबित किया गया है कि चिराग का शव ईश्वरी लाल यादव के मकान में पाया गया था । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उपबंध को लागू करते हुए निश्चित रूप से यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्तों पर था कि वह अपने ज्ञान में के इस तथ्य को स्पष्ट करें कि चिराग का शव उनके मकान में कैसे दफनाया गया था । **शंभू नाथ मिश्रा** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय का लिया गया अवलंब भी अपीलार्थियों के लिए सहायक नहीं होगा । **फिरोजुद्दीन बशीरुद्दीन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने उन संघटकों पर चर्चा की थी, जिनसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अर्थांतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का गठन होता है । क्योंकि हमारा यह मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपीलार्थियों की दोषिता को साबित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, इसलिए

इस पर आगे और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

25. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा **संजय ठाकरान** (उपर्युक्त) और **प्रकाश** (उपर्युक्त) वाले मामले में के अन्य निर्णयों के लिए गए अवलंब से भी इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों के मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी । बरामदगियों के अतिरिक्त अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए स्वतंत्र साक्षियों का प्रबल और संगत साक्ष्य है । न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर की रिपोर्ट से निश्चायक रूप से यह सिद्ध होता है कि अभि. सा. 3 मृतका की जैविक नातेदार है । यदि उक्त साक्ष्य पर अभि. सा. 2 और अभि. 3 के अन्य मौखिक साक्ष्य के साथ विचार किया जाए तो युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हो जाता है कि अपीलार्थियों के मकान से निकाले गए शव के कंकाल के अवशेष उनकी पुत्री कुमारी मनीषा के ही थे । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि वह मकान अपीलार्थियों का था जहां से कंकाल के अवशेष निकाले गए थे ।

26. इसके अतिरिक्त, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364/34 के अधीन अपराध को साबित करने के लिए अभिकथित संस्वीकृति के सिवाय अभिलेख पर कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है, इसलिए अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्ति के हकदार हैं । फिर भी, मृतका के शव को दफनाकर अपराध के साक्ष्य को छिपाया था, इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है ।

27. हत्या की पाश्विक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु-दंड अधिरोपित किया था, अपील में उच्च न्यायालय ने इस दंडादेश को किसी परिहार या पैरोल के बिना आजीवन कारावास में उपांतरित किया है । हत्या की पाश्विक प्रकृति पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की जानी चाहिए ।

28. पूर्वोक्त कारणों से, यह दांडिक अपील भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित 364/34 के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को अपास्त करते हुए भागत: मंजूर की जाती है । तथापि, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 201 के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि करते हैं ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2020] 1 उम. नि. प. 324

अरुणाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रामचंद्र रबिदास उर्फ रत्न रबिदास और एक अन्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 905 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 906)]

4 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 183 और 184 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 5, 279, 304क, 337 और 338 तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26] – अत्यधिक गति और खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना – दुर्घटना से संबंधित मामलों में केवल मोटर यान अधिनियम के अधीन न कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन अभियोजन चलाने के निर्देश जारी किया जाना – चूंकि मोटर यान अधिनियम और दंड संहिता में मोटर यान दुर्घटनाओं से संबंधित उपबंध एक-दूसरे से पूर्णत: अलग और सुभिन्न हैं तथा शास्तिक परिणाम भी अलग-अलग हैं, इसलिए इन दोनों